

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. कन्हैयालाल पुत्र धनराज जी व्यास निवासी संतोष माता मंदिर के पास वार्ड नं0 4 पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र कन्हैया लाल जी व्यास आयु वयस्क निवासी गुजरात की गली बाईसी मौहल्ला के पास, वार्ड नं0 4 पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


वाद वास्ते घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 रा0 टि0 एक्ट

प्रकरण संख्या 10/2018 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र दाधीच उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 28.04.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को वादी के विधिक वारिसान को पेश नहीं किये जाने से अर्बेट किया जाता है। विचाराधीन वाद में वादी विशेष नही रहने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।



(अरुण कुमार जैन)

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा